न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 28/2021 (RCMS No. :-2021/28)

उनवानी प्रकरण :–

1–नत्थी खॉ । पुत्रगण इलाहीवक्श
2–मुंशी खॉ ।
3–सन्नू खॉ । जातिगण मुसलमान
4–सम्पत खॉ । निवासीगण बजरिया धौलपुर
5–दौलत खॉ । तहसील व जिला धौलपुर

————————अपीलान्टस

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

—————— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.12.2019
तहसीलदार धौलपुर प्र.सं. 164/2019
उनवानी सरकार बनाम नत्थी बगैरा

उपस्थिति :–

1. अपीलान्टस की ओर से :– श्री इकराम खांन एडवोकेट।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक :–.06.07.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार धौलपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने बिना कोई जांच कराये तथा अपीलान्टस को कोई मौका दिये बिना आदेश दिनांक 18.12.2019 को पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

धौलपुर के समक्ष अपनी जबाबदेही प्रस्तुत करते हुये अपने जबाव में कहा कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 847 पर कोई अतिकमण नहीं किया है तथा अपने खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण की बाउण्ड्री बाल चारों ओर से हो रही है जो पटवारी की नापन के द्वारा कराई गई है जिसको काफी समय हो चुका है। अपीलान्टस ने ग्राम फिरोजपुर के खसरा नम्बर 847 की भूमि पर कभी भी अतिकमण नहीं किया और उक्त जगह पर अपीलान्टस का कोई संबध नहीं रखते है। अपीलान्टस के खसरा नम्बर 848 के सामने खसरा नम्बर 847 की करीब 40 फुट चौडी भूमि खाली पडी हुई प्रार्थीगण द्वारा उस पर कोई अतिकमण नहीं किया गया है और यदि खसरा नम्बर 847 की चौडाई में कुछ भूमि कम पडती है तो सामने वाले खातेदार का अतिक्रमण हो सकता है। अपीलान्ट ने नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व अपने भू–खण्ड आराजीयात के बावत नत्थीखॉ बगैरा बनाम नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व एक वाद दीवानी सिविल न्यायाधीश महोदय धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत कर दिया है जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन आदेश जारी है और नगर परिषद धौलपुर इस मुकदमे में उपस्थित होकर उक्त वाद न्यायालय में अभी विचाराधीन है तथा उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस का तब तक सिविल न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ से अंतिम रूप से निबटारा नहीं हो जाता तब तक अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस के विरूद्व कोई भी आदेश पारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्टस का विवादित भूमि पर कोई आधिपत्य नहीं है और ना ही भविष्य में करने के अभिलाषी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी तथा पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 18.12.2019 के आदेश का ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं था प्रार्थीगण ने कई बार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन प्रार्थीगण को उक्त फैसले की पेशकार द्वारा कोई जानकारी

नहीं दी गई। पेशकार ने दिनांक 10.2.2020 को बताया कि आपके केस का फैसला हो चुका है। प्रार्थीगण ने बिना विलम्ब किये उक्त फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 17.2.2020 को उक्त फैसले की प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण को प्राप्त हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस ने ग्राम फिरोजपुर के खसरा नम्बर 847 की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया और उक्त जगह पर अपीलान्टस का कोई संबध नहीं रखते है। अपीलान्टस के खसरा नम्बर 848 के सामने खसरा नम्बर 847 की करीब 40 फुट चौडी भूमि खाली पडी हुई प्रार्थीगण द्वारा उस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और यदि खसरा नम्बर 847 की चौडाई में कुछ भूमि कम पडती है तो सामने वाले खातेदार का अतिक्रमण हो सकता है। अपीलान्ट ने नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व अपने भू-खण्ड आराजीयात के बावत नत्थीखॉ बगैरा बनाम नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व एक वाद दीवानी सिविल न्यायाधीश महोदय धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत कर दिया है जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन आदेश जारी है। अपीलान्टस का तब तक सिविल न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ से अंतिम रूप से निबटारा नहीं हो जाता तब तक अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस के विरूद्व कोई भी आदेश पारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि आराजी खसरा नम्बर 847 रकवा 2 वीधा 05 विस्वा कि किस्म राजस्व रिकार्ड में बंजड (सिवायचक) दर्ज है जो कि सरकारी भूमि है उक्त सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बिना किसी अधिकार अवैध कब्जा कर रकवा 0.02 विस्वा पर पत्थर लगाकर एवं वाउण्ड्री लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त सरकारी भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किया गया है तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.12.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । अपीलान्ट का कथन है कि खसरा नम्बर 847 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और उक्त जगह पर अपीलान्टस का कोई संवध नहीं रखते है। अपीलान्टस के खसरा नम्बर 848 के सामने खसरा नम्बर 847 की करीब 40 फुट चौडी भूमि खाली पडी हुई यदि खसरा नम्बर 847 की चौडाई में कुछ भूमि कम पडती है तो सामने वाले खातेदार का अतिक्रमण हो सकता है। अपीलान्ट ने नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व अपने भू–खण्ड आराजीयात के बावत नत्थीखॉ बगैरा बनाम नगर परिषद धौलपुर के विरूद्व एक वाद दीवानी सिविल न्यायाधीश महोदय धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत कर दिया है जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन आदेश जारी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्टस ने दीवानी सिविल न्यायाधीश धौलपुर में विचारीधन बाद के सम्बध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके कि सिविल न्यायाधीश धौलपुर में कोई बाद विचाराधीन है। अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि उक्त विवादित आराजी आवादी की भूमि हो नगर परिषद धौलपुर में दर्ज हो। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 847 रकवा 2 वीधा 05 विस्वा की किस्म बंजड (सिवायचक) दर्ज रिकार्ड है जो सरकारी भूमि है। जिस पर अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू होगें। विवादित आराजी ख0न0 847 रकवा 2–05 बीधा किस्म बंजड(सिवायचक) दर्ज रिकार्ड है जो कि सरकारी भूमि है उक्त सरकारी भूमि पर अपीलान्टस ने बिना किसी अधिकार के अवैध कब्जा कर रकवा 0–02 विस्वा पर पत्थर लगाकर एवं वाउण्ड्री लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील, अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

(आर0 के0 [illegible])
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0 जिला कलक्टर धौलपुर

वमुक नत्थीखाँ वगैरा बनाम सरकार

अन्य अपील संख्या 28 / 2021

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.12.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर